## SSVK के संघर्ष और विकास की सफल कहानियॉ

### ➢ केस स्टडी 1: ग्राम कोष के सहयोग से हासिल हुई जीत

वर्ष 1993-94 के दौरान मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंडन्तर्गत हसौलिया गांव में मजदूरी के सवाल पर मजदूर एवं मालिक के बीच विवाद हुआ था । तकरीबन आठ महीनों तक मजदूरों ने मालिकों के कार्यो का बहिष्कार कर रखा था। अपनी एकता की बदौलत मालिकों की सारी साजिशों को विफल कर दिया था। मजदूरों का नारा था: उचित मजदूरी नहीं, तो काम नहीं। रामेश्वर सदाय, डोमी सदाय, लक्ष्मी सदाय, नसीबलाल सदाय, कौशल्या देवी, मूरती देवी आदि मजदूर नेतृत्व की केंद्रीय भूमिका में रहे थे। ऊपरी तौर पर इस विवाद की गहराई मापी नहीं जा सकती। मजदूरी कर अपना पेट भरने वाले मजदूर आठ महीनों तक बेरोजगार रहे, मालिकों की साजिशों को झेला, चंद तरह के सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, प्राकृतिक प्रकोपों का सामना किया। संकट के इस दौर में वहां स्थापित ग्राम कोष उनके काम आया था। ग्राम कोष के लिए वसूले गए अनाज से हड़ताल पर गए मजदूरों के परिवार वालों का भोजन चला तथा ग्राम कोष के पैसे से दूसरी जरूरतों को पूरा किया गया। अंतत: मजदूरों की एकता के सामने मालिक झुक गए। खेत के आबाद नहीं होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। सच तो यह था कि मजदूरों की मदद के बिना उनका काम चलने वाला नहीं था। अंत में मालिकों की ओर से पंचायत के तत्कालीन मुखिया चंद्रकांत झा एवं मजदूर प्रतिनिधियों के साथ लोक शक्ति संगठन के बीच समझौता हुआ। मालिक उचित मजदूरी देने के लिए राजी हुए। अंतत: अपनी मांग मनवा कर मजदूर आठ महीने बाद काम पर लौटे। सहज कल्पना की बात है कि अगर संकट के उस दौर में ग्राम कोष नहीं रहता तो क्या होता। क्या मजदूरों के लिए अपनी मांग पर आठ महीनों तक डटे रहना संभव हो पाता? क्या मजदूरों के परिवार वाले भूखमरी के शिकार नहीं बनते? या फिर इलाज के अभाव में नहीं मरते। निश्चित तौर पर ग्राम कोष ने उनकी लड़ाई को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा की।

### ➢ केस स्टडी 2: बड़की जवानी में जमीन पर कब्जा

मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखंड के बड़की नवानी गांव में एक मुसहरी है। उस मुसहरी में ग्राम कोष चल रहा है। गांव के छेदी सदाय एवं माधुरी सदाय ने 1994 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र के द्वारा आयोजित शिविर में उत्प्रेरक एवं संगठनकर्ता का प्रशिक्षण लिया था। गांव से सटे दक्षिण में एक बीघा 10 कट्ठा जमीन है। इस जमीन पर मालिक विशेष का वर्षों से अवैध मालिकाना हक था। मुसहरी के लोगों ने संगठित हो कर उस भूखंड पर चारों ओर से अपना घर बनाया। ग्राम कोष की सहायता से बीच में 6 कट्ठा का तालाब खुदवाया। इन लोगों ने ईंट भठ्ठा मालिकों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी है। वगैर उचित मजदूरी के इन लोगों ने उस ईंट भठ्ठा में न तो खुद काम किया और ना ही शहरी मजदूरों को करने दिया। अंतत: मजदूरों की जीत हुई। मालिक उचित मजदूरी देने के लिए राजी हुए। यहां के मजदूरों की सोच में तब्दीली एवं एकता प्रशिक्षण एवं ग्राम कोष की स्थापना के बाद ही हुई।

### ➢ केस स्टडी 3: बदल गयी पूरी तसवीर

मेरा नाम शनिचरी देवी है। मैं एक साधारण परिवार की मल्लाह जाति से आती हूं। मेरा घर हैठीवाला गांव में है। यह गांव मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के अंतगर्त है। मैं 1995 में लोक शक्ति संगठन से जुड़ी। इसके बाद गांव में संगठनात्मक काम करने लगी।

मेरे गांव में ब्राह्मण जाति के दबंग लोगों के द्वारा हमारे समुदाय को सताया जाता था। तरह तरह का आर्थिक, सामाजिक शोषण किया जाता था। ये लोग हमसे बंधुआ मजदूरी कराते थे। सूद पर पैसा देकर आर्थिक शोषण करते थे। बेवजह मारपीट किया करते थे।

गांव में लोकशक्ति संगठन के आने और ग्राम कोष की स्थापना ये स्थितियां बदल गईं। संगठन से जुड़ कर मैंने सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष से सामंतवादी घबराने लगे। शुरू में हम मल्लाह जाति के लोगों के पास मछली पालन या मखाना की खेती के लिए एक भी तालाब नहीं था। सामंती लोग गांव में मल्लाहों के नाम पर फर्जी सोसायटी बनाए हुए थे। हमारे नाम पर सोसायटी बना कर ब्राह्मण लोग पैसा कमाते थे। हमें कुछ नहीं देते थे।

ग्राम कोष बनने के बाद 1996 से 2002 के बीच इस कोष में लगभग 2 लाख 80 हजार रुपए जमा हुए। इससे सामंती घबरा गए। उन्हें लगा शनिचरी देवी लोगों को संगठित कर तालाब का हक ले लेगी। सामंतों ने साजिश कर हमारे बीच फुट डलवा दिया। हमारा समुदाय दो भागों में बंट गया। ग्राम कोष भी दो हो गया। इसके बाद योगेंद्र मुखिया के साथ मिलकर मैंने नए सिरे से काम शुरू किया। अलग ग्राम कोष खुलवाई। लोकशक्ति संगठन ने महिला संगठन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। ग्राम कोष में हम लोगों ने 90 हजार रुपए जमा किए।

हमारे गांव से सटे मनसैबर पोखर है। यह पोखर 28 एकड़ में है। वर्षों से इस पोखर पर जमींदार शिवनंदन मिश्र और दूसरे सामंतों का कब्जा था। लोकशक्ति संगठन के बैनर तले गांव के हम महिला-पुरुषों ने तालाब पर अपने हक के लिए संघर्ष शुरू किया। योगेंद्र मुखिया के साथ मैं कजला स्तर के मछुआरा सोसायटी के पदाधिकारियों से मिली। इसके साथ हमारा संघर्ष तेज हुआ। सामंतों ने हम लागों पर गलत मुकदमा ठोंक दिया। संगठन के दस साथियों को अभियुक्त बनाया गया। लेकिन संगठन की ताकत के आगे सामंतों की एक न चली। एक साल के अंदर 2002 में उन्हें मुकदमा उठाना पड़ा। इसबीच मैंने विश्व बैंक से संपर्क कर बीस साल के लिए तालाब की बंदोबस्ती का प्रयास किया। हमारे ग्राम कोष में भी एक लाख रुपया जमा हो गया। सतत संघर्ष के बाद 2003 में दस साल के लिए तालाब का पट्टा मेरे नाम मिल गया। यह सफलता लोकशक्ति संगठन और ग्राम कोष के माध्यम से मिली।

तालाब का पट्टा अपने नाम हो जाने के बाद हम महिलाओं ने 28 एकड़ के उस तालाब में मछली पालन शुरू किया। हर साल इसमें 20 हजार रुपये का मछली बीज लगता है। अब संगठन के लोग आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं। हर दो साल में हम लोगों को मजदूरों की मजदूरी देकर 50 हजार की आमदनी होने लगी है। मछली मारने का बड़ा जाल भी ग्राम कोष की मदद से लिया गया है।

आर्थिक मुक्ति के बाद इधर सामाजिक स्तर पर भी मुक्ति मिली है। ग्राम कोष के कारण पूरी तसवीर बदल गई है। पहले हमारे समुदाय के लोग रोजगार के अभाव में गांव से पलायन कर जाते थे। अब वे लोग हमारे काम में सहयोग करने लगे हैं। बंधुआ मजदूरी खत्म हुई है। प्रखंड और जिलास्तर के पदाधिकारियों से संपर्क कर अपने समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाई हूं। सांसद कोष से गांव में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है। लोग संगठन से लाभान्वित हो रहे हैं। हमें समाज में सम्मान मिल रहा है।

## ➢ केस स्टडी 4: तिलिया के नाम से ज़ुड़ी गांव की पहचान

मैं तिलिया देवी मधुबनी जिले की रहने वाली हूं। मैं मुसहर जाति से आती हूं। मेरा गांव खैड़ी लखनौर प्रखंड में पड़ता है। मेरे पति का नाम नेपल सदाय है। मैंने 1992 में सामाजिक शैक्षिक विकास केंद्र के द्वारा आयोजित शिविर मे सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई थी। इन चर्चाओं से मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा।

मुझे सामाजिक व पारिवारिक स्तर पर काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। परिवार वालों ने भी तिरस्कृत किया। यहां तक कि मेरे पति भी हमारे आचरण पर शक करने लगे और घर से निकाल दिया। लेकिन हार नहीं मानी और सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही। सामाजिक स्तर पर महिलाओं को साथ ले कर आर्थिक स्वावलंबन के लिए अपने गांव में ग्राम कोष की स्थापना की। ग्राम कोष का सीधा उद्धेश्य सूदखोरों से मुक्ति दिलाना था। ग्राम कोष में शुरू में हर माह हर परिवार से दस रुपए जमा कराए जाते थे। इस तरह हमारे ग्राम कोष में लगभग एक लाख रुपया जमा हो गया। ग्राम कोष से लड़की शादी, बीमारी आदि काम के लिए मदद दिया जाता है।

इसी तरह हमारे गांव में भूदान की 9 एकड़ जमीन थी। यह जमीन सामंतों के कब्जे में थी। इस जमीन पर हम दलित परिवार के लोगों ने घर बनाने का प्रयास किया। झोपड़ी बना कर रहने लगे। लेकिन सामंतों ने हमारी झोपड़ियों को जला दिया। उन सबों ने हम मुसहरों को मारपीट कर लाखो रुपए की हमारी मालमवेशी लूट ली। यह सब करने के बाद उल्टे हम सबों पर केस कर दिया। इसके बावजूद मैं  हार नहीं मानी। समाज को अपना योगदान देती रही। 2002 में पंचायत समिति की सदस्य चुनी गई। कांग्रेस महासचिव मारग्रेट अल्वा ने मुझे पुरस्कार देते हुए कहा था कि संघर्ष का अर्थ सिर्फ तिलिया देवी ही समझती है।  2005 में मुझे नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 11 सितंबर, 2005 को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुझे आउटलुक स्पीकआउट अवार्ड दिया।

गांव में मेरे नेतृत्व में ग्राम कोष के काम के अलावा 156 एकड़ जमीन का पर्चा लेने के लिए संघर्ष चल रहा है। 13 एकड़ का पर्चा हमारे समुदाय के लोगों को मिल भी चुका है। इस तरह हमारे प्रयास से हमारे समुदाय के परिवार की गरिमा बढ़ी है। अब हम लोग इज्जत की रोटी खा रहे हैं। हमारे गांवखैड़ी को लोग अब तिलिया खैड़ी के नाम से जानने लगे हैं।

## ➢ केस स्टडी 5: संघर्ष से मिली सफलता

मेरा नाम पृथ्वी सदाय है। मैं सुपौल जिले के दानापुर गांव का रहने वाला हूं। यह गांव मरौना प्रखंडमें पड़ता है। सामाजिक शैक्षिक विकास केंद्र के माध्यम से मैंने 1993 में सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मैं अपने गांव गया और गांव वालों को ग्राम कोष के बारे में बताया। इसके बाद लोकशक्ति संगठन की स्थापना किया। ग्राम कोष बना। ग्राम कोष में पैसा जमा होने लगा। भलुआही ग्रामीण बैंक में मेरे साथ सुमित्रा देवी और उर्मिला देवी के नाम से खाता खोला गया। पूरे प्रखंड में मेरे नेतृत्व में समस्याओं के खिलाफ लड़ाई चलने लगी। दानापुर में मुसहर टोला के पास भूदान की 12 बीघा जमीन थी। हम 11 मुसहरों के नाम भूदानी जमीन का सबूत था। लेकिन सागी ब्रहमपर गांव के सामंतों ने उस जमीन पर वर्षो से अवैध कब्जा कर रखा था। इसके खिलाफ हम गांव के सभी 60 दलित परिवार के लोगों ने बैठक कर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का निर्णय लिया। इसके लिए संघर्ष करने का फैसला हुआ। इसके बाद हम दलितों ने उस जमीन पर झोपड़ी बनाई  और वहां रहने लगे। इसके बाद भूस्वामियों ने हम पर केस कर दिया। हम सुपौल कोर्ट में केस लड़ने लगे। केस लड़ने में ग्राम कोष की मदद मिली। यह कानूनी लड़ाई 1995 में शुरू हुई थी। 1998 में कोर्ट का फैसला हम दलितों के पक्ष में आया। सबूत भी मिल गया। इस केस में ग्राम कोष का तीस हजार रुपया खर्च हुआ। ग्राम कोष की बदौलत हम दलितों को 15 एकड़ जमीन मिली। इस जमीन पर अभी दस दलित परिवारों का अधिकार है। इस जमीन पर हम खेती करते हैं। इसके अलावा 28 परिवारों का घर और दो एकड़ जमीन अलग से है। उस जमीन पर संघर्ष चल रहा है।

हमारे इन प्रयासों से हम दलितों को काफी सम्मान मिला है। हमारा आत्मविश्वास विश्वास बढ़ा है। मैं 2001 में निर्विरोध वार्ड सदस्य चुना गया। हमारे प्रयास से दलितों को सरकार योजनाओं, जैसे इंदिरा आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय आदि का लाभ भी मिल रहा है। हम लोग लोकशक्ति संगठन और ग्राम कोष के प्रति संकल्पित हैं।

## ➢ केस स्टडी 6: जमीन पर मिला कब्जा

देव सदाय और सुदामा देवी मधुबनी जिले के फटकी मुसहरी गांव के रहने वाले हैं। दोनों दलित मुसहर जाति के हैं। इन दोनों ने मिल कर अपने गांव का कमान संभाल रखा है। दोनों ने 1992 में सामाजिक शैक्षिक विकास केंद्र से बीस दिनों का सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम कोष, आत्मविश्वास निर्माण, सामाजिक कुव्यवस्था के खिलाफ संघर्ष आदि के बारे में इन्हें बताया गया था।

प्रशिक्षण लेने के बाद इन दोनों ने गांव लौट कर ग्राम कोष और लोक शक्ति संगठन की स्थापना अपने गांव में की। इसके बाद 1993 में 30 एकड़ जमीन पर संघर्ष शुरू हुआ। 1994 में जमीन पर कब्जा हो गया। 51 लोगों के नाम से पर्चा मिल गया। पहले 100 दलित परिवार के इस गांव में सिर्फ एक चापाकल था। 1995 में लोकशक्ति संगठन की पहल पर गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए गांव वालों ने बैठक की। इसके बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए पहल शुरू हुई। लोकशक्ति संगठन के गांव स्तरीय कार्यकर्ताओं- देबू सदाय, सुदामा देवी, तिरपित सदाय ने मोरचा संभाला। ग्राम कोष के माध्यम से स्वास्थ्य उपकेंद्र की मंजूरी सरकार से मिल गई। बाद में इसके लिए जमीन का भी निर्णय हो गया। इसके बाद गांव के भूस्वामी हरकत में आए। उन्होंने बैठक कर कहा कि मुसहर जाति के लोगों ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया। इस तरह तो वे हमारी जमीन भी छीन लेंगे। हालांकि भूस्वामियों ने स्वेच्छा से स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए जमीन दे दी। अब स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है।

स्वास्थ्य उपकेंद्र बनवाने के बाद ग्राम कोष के पैसे पंचायत भवन बनवाया गया। गांव में डाकघर बना।  गांव के सामंत नहीं चाहते थे कि यह हमारे गांव में बने, लेकिन लोक शकित संगठन और ग्राम कोष के बूते हम इसे अपने गांव में ही बनवाने में कामयाब हुए।

संगठन के साथ अपने जानमाल की परवाह किए बिना संघर्ष में लगे हुए हैं। 1997-98 में देबू सदाय और सुदामा देवी की अगुवाई में 56 एकड़ जमीन पर संघर्ष चला। इसमें से 30 एकड़ पर कानूनी कब्जा मिल गया है। ग्राम कोष की बदौलत बाकी जमीन पर कब्जा के लिए संघर्ष चल रहा है। ग्राम कोष से कुल एक लाख 25 हजार रुपया संघर्ष पर खर्च हुआ है।

संगठन की पहल पर सरकारी योजना के तहत पांच लाख रुपए की लागत से एक बांध बना है। सरकारी योजना से एक दलित दलान भी  बना है। इस पर दो लाख 60 हजार खर्च हुआ है। 1998 में सुदामा देवी के नाम से जन वितरण प्रणाली का दुकान भी गांव में खुला। देबू सदाय और सुदामा देवी के नेतृत्व में गांव वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इन दोनों के प्रयास से गांव के दलितों को सम्मान मिला। देबू सदाय ने बताया कि दलित मुहल्लों में सामाजिक -शैक्षणिक विकास तेजी से हो रहा है। ग्राम कोश और लोक शक्ति संगठन की बदौलत दलितों की पूरी दुनिया ही बदल गई है।

## ➢ केस स्टडी 7: बेकाम रहीं सारी साजिशें

मेरा नाम खिखर सदाय है। मैं सुपौल जिले के बरमोत्तर गांव का रहने वाला हूं। यह गांव मरौना प्रखंड में है। मैंने 1993 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र के माध्यम से सामाजिक उत्प्रेरक का बीस दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया था। प्रशिक्षण के दौरान हमें ग्राम कोष, आत्मविश्वास निर्माण, सामाजिक कुव्यवस्था, पलायन के खिलाफ संघर्ष आदि के बारे में बताया गया था।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मैं अपने गांव लौट कर गांव वालों की बैठक किया। उस बैठक में गांव वालों को मैंने सारी बातें बताई। उन्हें ग्राम कोष की स्थापना के लिए प्रेरित किया। पूरे समुदाय की ओर से इस बैठक में दो महिलाओं- रेशमा देवी और दुलारी देवी को चुना गया। इन दोनों के नाम से मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरौना में खाता खुला। इस खाते में ग्राम कोष का पैसा जमा होने लगा। लगभग चालीस हजार रुपया जमा हुआ।

हमारे गांव के पास सीलिंग एक्ट की 10 एकड़ जमीन थी। इस जमीन पर गांव के ही दबंग उमानाथ यादव का कब्जा था। मुसहर जाति के हम सभी भूमिहीन थे। हम दलितों ने 1997-98 में उस जमीन पर घर बना लिया। जमीन को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद भूस्वामी के द्वारा हमारे खिलाफ मुकदमा किया गया। दस लोगों को अभियुक्त बनाया गया। सुपौल कोर्ट में यह केस दस वर्षों तक चला। इस केस को लड़ने में ग्राम कोष से लगभग तीस हजार रुपया खर्च हुआ। अंत में कोर्ट का फैसला हम लोगों के पक्ष में हुआ। इस जमीन में से कुछ भाग को हम लोग खेती के लिए रखे हैं। बाकी पर घर बना कर रहते हैं। पहले भूस्वामी हमें बहुत सताते थे। अब हम लोग बिल्कुल आजाद हैं। सामाजिक सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

ग्राम कोष एवं लोक शक्ति संगठन के बल पर सामाजिक-शैक्षणिक स्तर में भी काफी सुधार हुआ है।

2001 में मैं अपने पंचायत में वार्ड सदस्य का चुनाव भी जीता। पंचायत से जुड़ कर सरकारी विकास योजनाओं, जैसे-इंदिरा आवास योजना, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा, वृद्धावस्था पेंशन, जॉब कार्ड आदि का लाभ समुदाय के लोगों तक पहुंचाया। ग्राम कोष के माध्यम से हमने बंधुआ मजदूर मुक्ति, सूदखोरों से मुक्ति, आर्थिक उपार्जन के साथ जमीनी संघर्ष का सफलतापूर्वक संचालन किया। आगे भी हमारा संघर्ष ग्राम कोष के माध्यम से चलता रहेगा।

## ➢ केस स्टडी 8: मिला सरकारी योजनाओं का लाभ

मेरा नाम मुंगिया देवी है। मैं दलित मुसहर समुदाय से आती हूं। मेरा घर मधुबनी जिले में है। मेरे गांव का नाम कोयलीबाहा है जो बॉकी प्रखंड के मुसहरी पंचायत में पड़ता है। मेरे गांव में दलित मुसहर परिवारों की कुल संख्या 266 है।

मैंने 1992 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र के द्वारा आयोजित बीस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के दौरान आत्मविश्वास का निर्माण, ग्राम कोष, सामाजिक कुव्यवस्था, अंधविश्वास से जुड़ी बातों की जानकारी दी गई थी।

प्रशिक्षण पाने के बाद मैं अपने गांव गई और वहां ग्राम कोष की स्थापना की। इसके पहले हमारे गांव में ऊंची जाति के लोग कर्ज देते थे। इसके बदले में वे हम लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाते थे। बीमार रहने पर भी हमें काम करने को मजबूर किया जाता था।

ग्राम कोष की स्थापना के बाद पंजाब नेशनल बैंक, मधेपुर में मेरे और सूरत लाल सदाय के नाम से खाता खुला। ग्राम कोष में कुल नब्बे हजार रुपया जमा हुआ। इस रुपए की मदद से मैंने बंधुआ मजदूरी व सूदखोरों से मुक्ति और जलकर के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। जमीनी संघर्ष में ग्राम कोष से अब तक लगभग 73 हजार रुपया खर्च हुआ है। अभी हमारे गांव के ग्राम कोष में 65 हजार रुपया जमा है।

हमारे गांव से सटे दस एकड़ का एक झील था। यह झील बिहार सरकार का था। इस झील में हमारे समुदाय के लोगों को मछली नहीं मारने दिया जाता था। हम लोगों के टोले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह साल में छह माह चारो तरफ से पानी से घिरा रहता है। एक तरह से हमलोग टापू पर बसे हुए हैं।

संगठित हो कर हम लोगों ने 1995 में चौर के लिए संघर्ष शुरू किया। यह चौर पहले पचही गांव के सामंत राम प्रसाद मुखिया के कब्जे में था। इस कारण संघर्ष उन्हीं के साथ शुरू हुआ। उन्होंने बाहर से गुंडा मंगवा कर हम लोगों को मारने पीटने का प्रयास किया। लेकिन हम लोगों ने संगठित होकर संघर्ष किया। इसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कानूनी लड़ाई में सफलता हमलोगों को ही मिली।

अब मैं चौर से मछली मार कर अपने परिवार का भरण पोषण करती हूं। ग्राम कोष भी चला रही हूं। 2001 के पंचायत चुनाव में निर्विरोध वार्ड सदस्य चुनी गई । फिर 2006 में पंचायत चुनाव हुआ। इस चुनाव में में निर्विरोध पंच चुन ली गई। पंचायत से जुड़ कर सरकारी योजनाओं का लाभ समुदाय के लोगों को दिलवाई । हमारे प्रयासों से इंदिरा आवास, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा, मातृत्व लाभ, जैसी योजनाओं का लाभ अब गांव के दलितों को मिल रहा है।

सार में ग्राम कोष के कारण आर्थिक,सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर सुधार हुआ है। बंधुआ मजदूरी, सूदखोरी और पलायन से मुक्ति मिली है। समाज में हमारे समुदाय के लोग सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं।

## ➢ केस स्टडी 9: संघर्ष कर बने स्वावलंबी

श्रीमति कविता देवी और श्रीमति भुलुकन देवी मधुबनी जिले के गोधनपुर गांव की रहने वाली हैं। गोधनपुर झंझारपुर प्रखंड के सुखेत पंचायत में पड़ता है। यह 190 दलित परिवारों की बस्ती है।

कविता देवी और भुलुकन देवी ने 1992 में सामाजिक कार्यकर्ता का प्रशिक्षण लिया था। इसके पहले गांव में इनके समुदाय के लोग महाजनों से कर्ज लेकर मोथी का परीया बुना करते थे। इसे बेच कर उनका जीवन वसर होता था। लेकिन महाजन कर्ज बहुत अधिक सूद पर देते थे। सूदखोर प्रति सैकड़ा प्रति माह पांच से सात रुपया ले लेते थे। पैसा नहीं अदा करने वे कर्ज लेने वालों को बंधुआ मजदूर बना लेते थे और उनका शोषण करते थे।

ये दोनों महिलाएं प्रशिक्षण लेकर गांव लौटीं तो इन्होंने ग्राम कोष की स्थापना की। अपनों के बीच से पैसा एकत्र कर ग्राम कोष को चलाना शुरू किया। सूदखोरों की प्रताड़ना के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। आज की तारीख में इनके ग्राम कोष में 80 हजार रुपया जमा है।

गांव में भूदान की जमीन का पर्चा इन लोगों को सरकार से मिला था। लेकिन इस जमीन पर इनका कब्जा नहीं हो सका था। गांव के सबसे बड़े सामंत का कब्जा उस जमीन पर था। सामंत दलितों को बहुत सताते थे। बंधुआ मजदूरी करवाते थे। खेत में काम करने के एवज में मात्र दो सेर धान देते थे। खेत में काम नहीं करने पर माल-मवेशी को खेत में नहीं चरने देते थे। इतना ही नहीं इन लोगों के साथ मारपीट भी किया करते थे।

गांव की महिलाओं ने मिल कर 2002 में चार बीघा जमीन पर सबूत के साथ कब्जा किया। लेकिन अंतिम सफलता नहीं मिली। सामंतों ने मामला केस कर उलझा दिया। फिर भी महिलाओं ने हार नहीं माना। केस लड़ीं और अंततः 2005 में फैसला इनके पक्ष में आया। इस कानूनी लड़ाई में समुदाय के सभी लोगों ने साथ दिया।

प्रशासन के सहयोग से दलित समुदाय के लोगों न उस जमीन पर अब अपना घर बना लिया है। ग्राम कोष की सहायता से महिलाएं महाजनों से मुक्ति पा ली हैं सामाजिक सम्मान के साथ जिंदगी जी रही हैं। महिलाएं ग्राम कोष की मदद से मोथी की चटाई बुनती हैं और उसका व्यवसाय करती हैं।

## ➢ केस स्टडी 10: एकज़ुट हो किया विरोध

मेरा नाम गुलाम देवी है। मैं मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के सुखेत गांव की रहने वाली हूं। मेरे गांव में 112 दलित मुसहर परिवार हैं। हम लोगों को 1970 में बिहार सरकार के द्वारा सिलिंग एक्ट के तहत 5 एकड़ 17 कठ्ठा जमीन मिली। जमीन मिलने के बाद खेत जोत कर समुदाय के लोग खेती करने लगे। पांच साल के बाद सामंत नसीब लाल हम मुसहरों को धमकी देने लगा। कहने लगा कि जमीन हमारा है। इसे छोड़ दो, वरना गोली मार दूंगा। इस सामंत ने गुंडा लगवा कर मुसहरों को काफी मारा पीटा और झंझारपुर कोर्ट में हमारे खिलाफ 10-12 केस कर दिया। जमीन पर टाइटल सूट भी हुआ।

इसके पहले मैंने वासठ सदाय के साथ सामाजिक शैक्षिक विकास केंद्र के द्वारा आयोजित बीस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के बाद हम लोगों ने ग्राम कोष की स्थापना की थी। बैंक में गुलाब देवी और कुशमा देवी के नाम से खाता खुला।

इसी ग्राम कोष की मदद से हम लोगों ने सामंत के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद किया। हमारे आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आयी। केस लड़ने में ग्राम कोष का 87 हजार रुपया खर्च हुआ। ग्राम कोष की मदद के अलावा गांव की महिलाएं पूरी तरह साथ थीं।

एक दिन ऐसा हुआ कि सामंतों ने हम लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा किया और थाना के दारोगा ने बिना कोई नोटिस दिए हम लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। प्रतिकार में महिलाएं आगे आई और पुलिस वालों को सबक सिखाया। आगे केस चलता रहा। सबूत हम लोगों के पक्ष में मजबूत था। लोक शक्ति संगठन के ग्राम कोष की बदौलत हमने अंतत: हमने 5 एकड़ 17 कठ्ठा जमीन और दो बीघा का तालाब अपने कब्जे में कर लिया। कानूनी तौर पर जमीन का मालिकाना हक भी हमें मिला। अपनी इस लड़ाई से हमें सामाजिक-आर्थिक अधिकार हासिल हुआ है। हम सम्मान की जिंदगी जी पा रहे हैं।

## ➢ केस स्टडी 11: सूदखोरों से मिली मुक्ति

मेरा नाम रेशमा देवी है। मैं एक दलित मुसहर महिला हूं। मेरे पति का नाम मकसूदन सदाय है। मैं सहरसा जिले की देवका गांव की रहने वाली हूं। यह गांव नवहट्टा प्रखंड में पड़ता है। मेरी उम्र 53 साल हैं।

पहले सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव के कारण मैं गांव में साधारण जीवन वसर कर रही थी। गांव में सामंतों का काफी दबदबा था। सुदखोरों एवं महाजनों को शोषण का काफी अवसर मिलता था। मेरे गांव की भौगोलिक स्थिति दूसरे गांवों से भिन्न है। हमारा गांव कोसी नदी के बीचोबीच टापू पर बसा हुआ है। मेरे समुदाय के लोग सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। साल में चार माह घर के चारो तरफ पानी ही पानी रहता है। कई बार अधिक पानी आने से जानमाल की क्षति उठानी पड़ती है। गांव की इन समस्याओं को देखते हुए मैं सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र से प्रशिक्षण लेकर लोक शक्ति संगठन से जुड़ गई और अपने गांव में ग्राम कोष की स्थापना की। ग्राम कोष का खाता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नवहट्टा में खुला। यह खाता मेरे और शकुंतला देवी के नाम से चलता है। हमारे ग्राम कोष में अभी कुल 67 हजार 9 सौ 93 (67,993रु) रुपया है।

ग्राम कोष की सहायता से हम ग्रामीणों को सूदखोरों से मुक्ति मिली है। साथ ही इसकी मदद से हमने मजदूरी की लड़ाई भी लड़ी है। बंधुआ और बाल मजदूरी से हमें मुक्ति मिली है। मजदूरी दो किलो से बढ़ा कर तीन किलो अनाज कराने में हमें कामयाबी मिली है। मैं बाढ़ के समय अपने समुदाय के लोगों को ग्राम कोष से दो रुपए प्रति सैकड़ा के हिसाब से पैसा देती हूं। समुदाय के लोग बाद में पैसा ग्राम कोष को लौटा देते हैं। इस तरह हमारे प्रयासों को मिली कामयाबी से हमारा जीवन स्तर काफी सुधर गया है। समुदाय के लोग आज सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं।

## ➢ केस स्टडी 12: मिली सम्मान की जिंदगी

मैं, इंदु देवी और सुमित्रा देवी मधुबनी जिले के पथराही गांव की रहने वाली हूं। हमारा गांव उतरी प्रखंउ के बेहत पंचायत में पड़ता है। हम दोनों ने 1997 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र के माध्यम से सामाजिक उत्प्रेरक का 20 दिवसीय प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण पाने के बाद हमने गांव में ग्राम कोष की स्थापना की। दलित बस्ती के सभी लोगों ने लोक शक्ति संगठन का भी निर्माण किया। हमारे गांव में दलित परिवारों की संख्या 86 है। हम दोनों महिलाओं ने मिल कर संगठन का कमान संभाला। हमारे प्रयासों से ग्राम कोष में कुल 16 हजार रुपया जमा हुआ।

हमारे घर के पास तीन एकड़ में एक तालाब है। इस तालाब पर बिहार के एक पूर्व मंत्री ने फर्जी सबूतों के आधार पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। वह तालाब में मछली पालन भी करते हैं। इसके अलावा मेन रोड का पांच कठ्ठा जमीन पर भी उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। तालाब में वे हमारे मवेशियों को पानी नहीं पीने देते। हम दलितों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। हम लोग इस तालाब और जमीन के बारे मे मधुबनी के जिलाधिकारी और लखनैर के अंचलाधिकारी को आवेदन दे चुके हैं। हम लोग लोक शक्ति संगठन के बैनर तले इस आंदोलन को और तेज करना चाहते हैं।

इसके अलावा हम दोनों दलित महिलाओं ने प्रखंड कार्यालय से जुड़ कर अपने समुदाय के लोग को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है। हमारे प्रयास से 40 परिवारों को इंदिरा आवास, 30 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन, दस विकलांगों को सरकारी सहायता मिला है। संगठन के सहयोग से 2003 मे हरिजन दलान और 2004 में माध्यमिक विद्यालय का भवन बना। हमारे प्रयासों से दलित परिवारों को सम्मान की जिंदगी मिली है। शैक्षणिक स्तर पर शिक्षा का विकास हुआ है। हमारे समुदाय के लगभग 90 लड़के- लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रहीं हैं। आर्थिक स्थिति में और ज्यादा सुधाार के लिए हम ग्राम कोष को और मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम कोष की सहायता से सूदखोरों से मुक्ति मिली है। नशाखोरी कम हुई है। बंधुआ मजदूर मुक्त हुए हैं। ग्राम कोष और लोक शक्ति संगठन के प्रयासों से अधिक से अधिक लाभ दलितों को मिले इसकी कोशिश की जा रही है।

## ➢ केस स्टडी 13: हासिल हूआ रोजगार व सम्मान

मेरा नाम रूकमनी देवी है। मेरा घर लखनौर प्रखंड के खैरी रामटोल गांव में है। मेरे पति का नाम स्व. मोती राम है।मैंने 1993 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र के माध्यम से सामाजिक उत्प्रेरक का बीस दिवसीय प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के दौरान आत्मविश्वास निर्माण, ग्राम कोष, सरकारी विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। प्रशिक्षण में मैंने जो कुछ सीखा, उसे गांव जा कर लागू करने की कोशिश की। गांव लौट कर गांव वालों की बैठक कर उन्हें ग्राम कोष के उद्धेश्यों के बारे में बतायी। इसके बाद महिलाओं ने सहयोग करना शुरू किया और ग्राम कोष की स्थापना की गई। बैंक ऑफ इंडिया में मेरे और डोमनी देवी के नाम से खाता खुला। उस समय प्रति परिवार दस रुपया ली थी। अभी ग्राम कोष में कुल 45 हजार रुपया जमा है।

हमारे टोले से सटे हुए लखनैर गांव में एक भूस्वामी हैं लोकपत सिंह। गांव में छह बीघे क एक तालाब था। उस तालाब पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। 1993 में हमारे गांव के सामने कमला पूर्वी तटबंध भीषण बाढ के कारण टूट गया। उसे मिट्टी बालू से भरवाया गया था। वह जमीन बिहार सरकार की थी। हमलोग लोक शक्ति संगठन के सहयोग से

2005 में उस जमीन पर अपना झोपड़ी बनाए थे। इसके पहले हमलोग कमला तटबंध पर बसे हुए थे। लेकिन हमारे गांव के यादव समुदाय के लोग जमींदार को बिचौलिया बना कर हम लोगों का शोषण करने लगे वे लोग हमें धमकाने लगे। कहने लगे कि इस जमीन के बदले में हमने लोकपत सिंह को जमीन दी है। इसलिए तुम लोग हट जाओ। नहीं तो मारपीट करेंगे, मुकदमा में फंसा देंगे। इन धमकियों के बावजूद हम लोग अपने संगठन के बल पर जमे रहे। सामंत लोग उस वक्त हमें मजदूरी डेढ किलोग्राम अनाज देते थे। हम लोगों ने इतनी कम मजदूरी का विरोध किया और उनके खेत में काम करना बंद कर दिया। इसके बाद मजबूर होकर उन्हें उचित मजदूरी देनी पड़ी। अब हमें तीन किलो अनाज और जलपान मिलता है।

इस तरह संगठन के बैनर तले संगठित हाने के बाद हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। गांव के हम दलित लोग सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। जमीन के परचे के लिए मैं जिलाधिकारी, मधुबनी और लखनैर के अंचलाधिकारी के पास आवेदन दे चुकी हूं। मैं प्रखंड कार्यालय जा कर अपने गांव वालों को अन्नपूर्णा, अंत्योदय, वृद्धावस्था पेंशन जैसे तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित कराती हूं।

## ➢ केस स्टडी 14: शोषण से मिली मुक्ति

मेरा नाम डोमनी देवी है। मैं चमार जाति से आती हूं। मैं सुपौल जिले के मरौना कमरैल टोला की रहने वाली हूं। 1993 में मैंने सामाजिक विकास केंद्र ,जेपीग्राम, बलभद्रपुर से सामाजिक उत्प्रेरक का बीस दिवसीय प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के दौरान आत्मविश्वास बढ़ाने, ग्राम कोष आंदोलन चलाने, अंधविश्वास, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी खत्म करने व कुल मिलकर शोषण मुकत समाज बनाने के संबंध में हमें बताया गया।

प्रशिक्षण लेने के बाद मैं गांव लौटी और ग्राम कोष की स्थापना की। हमारे गांव कमरैल टोला में 188 चमार परिवार रहते हैं। इन सबों की बैठक कर उन्हें ग्राम कोष के बारे में जानकारी दी। इसके बाद कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुरैना में ग्राम कोष का खाता मेरे और वीरेंद्र राम के नाम से खुला। ग्राम कोष में अभी 65 हजार रुपया है। ग्राम कोष से सदस्यों को शादी-विवाह, बीमारी, सार्वजनिक काम, व्यापार, रोजगार के लिए कर्ज दिया जाता है। इस तरह गांव के लोग सूदखोरों के चंगुल से बचते हैं। सूदखोरों को प्रति सैकड़ा दस रुपए का ब्याज देना पड़ता था। जबकि ग्राम कोष से एक-दो रुपया प्रति सैकड़ा के हिसाब से कर्ज मिल जाता है और सदस्य अपने तात्कालिक कामों को कर लेते हैं।

हमारे गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि साल में छह माह यह पानी से घिरा रहता है। इसके कारण समय पर खेती नहीं हो पाती। रोजगार की तलाश करनी पड़ती है। इसके कारण लोग काम की तलाश में पलायन करते हैं। गांव में शिक्षा की स्थिति भी खराब है। ग्राम कोष से इन सभी मुश्किलों में गांव वालों को मदद मिलती है। इसके अलावा गांव में जो जमीनी संघर्ष चल रहा है, उसमें भी ग्राम कोष का पैसा खर्च होता है। हमारे कमरैल पंचायत में भूदान का 360 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर विमल वर्मा, बलदेव यादव, रामचंद्र यादव ने अवैध कब्जा कर रखा है। हम लोग इस जमीन पर खेती करते थे। 14 एकड़ का जमीनी सबूत भी हमारे पास है। लेकिन इन तीनों सामंतों ने हथियार के बल पर उस जमीन को हमसे छीनने का प्रयास किया। हमलोगों के साथ मारपीट की। मुसहर समुदाय के महेंद्र सदाय को इन लोगों ने तीर मार दी। तीर निकालने में ग्राम कोष से 19 हजार रुपया खर्च हुआ। निर्मली के तत्कालीन एसडीओ महाबीर राम ने हमसबों की मदद की। हम लोगों की ओर से केस किया गया। इसके बाद विमल वर्मा, बलदेव यादव और रामचंद्र यादव जेल गए। 2003 में हमलोग केस जीत गए। इसके बाद 14 बीघा मीन पर हम सात लोगों को अधिकार मिल गया।

इस तरह संगठन के बैनर तले हमारे प्रयासों से दलितों को सम्मान की जिंदगी मिली है। 2001 में मैं वार्ड सदस्य भी चुनी गई। इसके बाद गांव वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मैं दखल देती हूं। गांव वालों की बेहतरी के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और इस संघर्ष में मेरा सहयोग मिलता रहेगा।

## ➢ केस स्टडी 15: जीत के बाद भी जारी है संघर्ष

मेरा नाम लक्ष्मी सदाय है। मैं सहरसा जिले के परताहा गांव की रहने वाली हूं। मेरा गांव नवहटटा प्रखंड के बरहाड़ा पंचायत में पड़ता है। 1995 में मैं और धनिक लाल साहू ने सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र से सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया था। इस प्रशिक्षण में हमें सामाजिक बुराइयों से मुक्ति, अंध विश्वास खत्म करने के बारे में जानकारी दी गई। हमें बताया गया कि दलित लोग सामाजिक-आर्थिक रूप से क्यों कमजोर हैं और उनकी दशा में सुधार कैसे किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान गांवों की स्थिति जानने के लिए हमने पदयात्रा की।

प्रशिक्षण लेकर अपने गांव बरहड़ा लौटी तो वहां ग्रामीणों की बैठक की। उन्हें शोषण और गरीबी का कारण बताया। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से ग्राम कोष की स्थापना की। कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नवहटटा में गुलाब देवी और धनिक लाल साहू के नाम से ग्राम कोष का खाता खुला। ग्राम कोष में अभी दो लाख 80 हजार रुपया जमा है। इस पैसे गांव वालों को जरूरत के वक्त में मदद दी जाती है। उन्हें शादी-विवाह, इलाज, रोजगार की तलाश में बाहर जाने के लिए पैसा दिया जाता है। इसके लिए उनसे दो रुपया प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज लिया जाता हैं

ग्राम कोष और लोकशक्ति संगठन की मदद से हमारे गांव में 44 एकड़ जमीन पर संघर्ष चल रहा है। इस जमीन पर यादव लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। इस जमीन पर हम लोगों ने गेंहू का फसल लगा कर काट लिया है। इसे लेकर मुसहरों और यादवों के बीच काफी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में मैंने मुसहरों की अगुवाई की। यादवों को मुजफ्फरपुर के मालिक सहयोग दे रहे थे। लेकिन हम लोग आपसी सहयोग से उनकी एक न चलने दी। तीन बार यादव लोग उस जमीन पर फसल काटने हथियारों के साथ आए, लेकिन हमने उन्हें फसल नहीं काटने दिया। बाद में यादवों ने 25 मुसहरों पर झूठा मुकदमा किया। लेकिन 2004 में हमलोग मुकदमा जीत गए। 44 एकड़ में से 30 एकड़ का जमीनी सबूत हमलोगों को अंचल कार्यालय से मिल गया है। बाकी 14 एकड़ के लिए लड़ाई जारी है।

इस तरह गाम कोष और लोक शक्ति संगठन की मदद से हमारी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया है। बदलाव की यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी।

## ➢ केस स्टडी 16: साजिशों को किया नाकाम

मेरा नाम गीता देवी है। मेरे पति का नाम शिवशंकर सदाय हैं। मैं मधुबनी जिले के कनकपुरा गांव की रहने वाली हूं। यह गांव झंझारपुर प्रखंड के पिपरौलीया प्रखंड में पड़ता है। इस गांव में कुल 152 दलित परिवार रहते हैं। गांव में सामंतों की संख्या अधिक है।

मैंने 1992 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र के द्वारा आयोजित बीस दिवसीय शिविर में सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान हमें ग्राम कोष के बारे में बताया गया। बताया गया कि इस कोष से किस तरह आर्थिक शक्ति हासिल की जा सकती है। प्रशिक्षण लेकर गांव लौटने पर मैंने ग्राम कोष की स्थापना की। उस समय प्रति परिवार पांच रुपए ग्राम कोष में जमा किए जाते थे। इस प्रक्रिया में में हमें गांव के सूदखोरों के विरोध का सामना करना पड़ा। हमारे समुदाय के लोग पहले इन्हीं सूदखोरों से पैसा लिया करते थे। लेकिन ग्राम कोष बन जाने के बाद धीरे-धीरे उनका धंधा बंद हो गया। इसके कारण वे गुस्सा में थे।

अपने समुदाय के लोगों को जब में आर्थिक रूप से मजबूत कर रही थी तब सामंतों ने हमारे समुदाय के बीच ही फूट डाल दिया। आपस में लड़वा दिया। इसका प्रतिकूल असर पड़ा और हमारे लोगों ने ग्राम कोष में पैसा जमा करना बंद कर दिया। स्थिति का लाभ उठा कर सामंतों ने अपना शोषण बढ़ाया तो ग्रामीणों में फिर से जागरूकता आई। ग्रामीणों ने बैठक कर फिर से ग्राम कोष शुरू किया। इस काम में महिलाओं ने भी साथ दिया। समुदाय के लोग संगठित होने लगे। इसके बाद मैंने प्रखंड कार्यालय से संबंध बनाया और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने लगी। इंदिरा आवास, अन्नपूर्णा, वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ, सामाजिक सरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दलितों को मिलने लगा। मैं मैट्रिक तक पढ़ी हुई हूं। इसके कारण मेरा आत्मविश्वास थोड़ा अधिक है। संगठन की बदौलत अपने गांव में आंगनबाड़ी सेविका भी चुनी गई हूं। इससे भी मेरा उत्साह बढ़ा है।

मैंने भूदानी जमीन का सबूत एकत्र किया। इन सबूतों से पता चला कि सामंतों ने 20 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके बाद हमने इस जमीन के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। 1992 से 2008 के बीच के 16 वर्षों में पांच-छह बार सामंतों से संघर्ष हो चुका है। लेकिन अब तक पूरी सफलता नहीं मिली है। 25 जुलाई, 2008 को बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। सामंतों ने हथियारों के साथ इस जमीन पर धान लगाना शुरू किया। हम सभी महिलाओं ने संगठित हो कर इसका विरोध किया। प्रशासन ने भी साथ दिया। सामंतों ने हमारे समुदाय के बारह लोगों पर मुकदमा कर दिया। कुल 11 जमीन पर संघर्ष चल रहा है। 4 बीघा जमीन पर कब्जा भी मिल गया है।

इस तरह ग्राम कोष और लोक शक्ति संगठन की मदद से हम संघर्ष कर रहे हैं। जमीन पर अधिकार के लिए पक्का सबूत जुटाने का काम चल रहा है। हमारे संघर्ष से दलितों को सम्मान की जिंदगी मिली है।

## ➢ केस स्टडी 17: मिला रोजगार से सम्मान तक

मेरा नाम गर्मी देवी है। मेरे पति का नाम स्व. मोती सदाय है। मैं मधुबनी जिले के शिरपुर गांव की रहने वाली हूं यह गांव लखनैर प्रखंड के मुसहरी पंचायत में पड़ता है। इस गांव में कुल 85 दलित परिवार हैं।

गांव में सामंतों के द्वारा हम लोगों का काफी शोषण किया जाता था। हम महाजनी प्रथा के शिकार थे। खेत में काम करने पर पत्थर वाले बाट से डेढ सेर लोरही मजदूरी में मिलता था। इसके कारण परिवार चलाने में दिक्कत होती थी। सामंतों ने बहुत से दलितों को बंधुआ मजदूर बना कर रखा था।

1992 में मैंने अशर्फी सदाय के साथ सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र के द्वारा आयोजित शिविर में सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान हमें ग्राम कोष के बारे में बताया गया। इसके  साथ ही अंधविश्वास,बंधुआ मजदूरी और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताया गया। हमारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा इसका प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण लेकर गांव लौटने पर हम दोनों ने गांव वालों की बैठक कर ग्राम कोष बनाया। मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अमेलिया देवी और बुधनी देवी के नाम से ग्राम कोष का खाता खुला। इस खाते में पैसा जमा होने लगा। 1992 में ग्राम कोष बनने के बाद आज की तारीख में ग्राम कोष में 45 हजार रुपया  जमा है। इस पैसे से लोगों को शादी-विवाह, इलाज के लिए पैसा दिया जाता है। लोग रोजगार के लिए जब पंजाब जाने लगते हैं तो उन्हें भाड़ा  दिया जाता है। यह पैसा दो रुपया प्रति सैकड़ा की दर से दिया जाता है।

हमारे गांव के पास 4 बीघा का एक तालाब है। इस तालाब पर दीप गांव के सामंतों का कब्जा था। तालाब पर हम तीन लोग मछली मारने गए। अर्शफी सदाय और रामचंद्र सदाय हमारे साथ थे। सामंतों ने हमें मछली मारने से रोक दिया। लेकिन हम लोग इसके लिए लड़ते रहे। बाद में ग्राम कोष की मदद से हमें तालाब पर अधिकार मिल गया। इसके लिए सोसायटी को हमने ग्राम कोष से पैसा लेकर दिया। इसके बाद ग्राम के पैसे से ही हमने मछली पालन का काम शुरू किया। मछली पालन के इस काम से पूरे समुदाय को अब तक दो लाख रुपए की आय हो चुकी है। इसके कारण समाज की आर्थिक स्थिति काफी ठीक हो गई है।

हमारे प्रयास से सरकारी योजनाओं का लाभ भी समुदाय के लोगों को मिलने लगा है। हमने अपने प्रयास से गांव में प्राथमिक विद्यालय खुलवाया। विद्यालय में दो शिक्षक हैं। विद्यालय भवन के निर्माण के लिए हमारे प्रयास से प्रखंड कार्यालय में 3 लाख 80 हजार रुपया आ चुका है। विद्यालय के लिए छह कठ्ठा  जमीन भी एक दाता ने दे दिया है। लेकिन अभी भवन बना नहीं है। विद्यालय भवन 2009 तक बन जाएगा। इस विद्यालय में कुल छात्र-छात्राओं की संख्या 127 है। इस तरह हम लोग अब सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। ग्राम कोष और लोक शक्ति संगठन की मदद से हमारी स्थिति सुधर रही है।

## ➢ केस स्टडी 18: हारे जीवन में आया बदलाव

मेरा नाम डोमी साहू है। मैं पूरनी पोखर गांव का रहने वाला हूं। मैंने 1995 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र से सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान हमें कर्जखोरी से मुक्ति के उपाय बताये गए। सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताया गया। बीस दिनों का प्रशिक्षण लेने के बाद मैं गांव लौटा। इसके बाद गांव में ग्राम कोष की स्थापना की। झंझारपुर आरएस में मेरे और रामाशीष कामत के नाम से ग्राम कोष का खाता खुला। ग्राम कोष में 35 हजार रुपया जमा है। इस पैसे से लोगों को बीमारी, रोजगार की तलाश में बाहर जाने और शादी-ब्याह जैसे दूसरे कामों के लिए पैसा दिया जाता है। ग्राम कोष के पैसे जमीनी संघर्ष भी चल रहा है। ग्राम कोष का एक और खाता सेंट्रल बैंक में खुला है। इसमें 22 हजार रुपया जमा है।

हमारे प्रयास से गांव में सामुदायिक भवन बना है। इंदिरा आवास, बीपीएल योजना, वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ, जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को मिल रहा है। गांव में सोलर लाइट की व्यवस्था हुई है। 1987 की बाढ़ में हम सबों का घर बह गया ािा। इसके बाद 1988 में फिर से घर बसाया गया। पर्चा के लिए संघर्ष जारी है। हम सभी पर्चा के लिए लड़ रहे हें साथ ही गांव में इंदिरा आवास का मकान बनवाने  की कोशिश में लगे हुए हैंइस तरह ग्राम कोष और लोक शक्ति संगठन ने हारे जीवन में काफी बदलाव ला दिया है। हम सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं।

## ➢ केस स्टडी 19: अभी जारी है संघर्ष

मेरा नाम ढकनी देवी है। मैं दरभंगा जिले के किरटपुर गांव की रहने वाली हूं। यह चनपटिया प्रखंड में पड़ता है। मेरे गांव में कुल 155 परिवार हैं।

मैंने 1994 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र से सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के दौरान हमें ग्राम कोष के बारे में बताया गया। इसके अलावा आत्मविश्वास बढ़ाने, सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति एवं आर्थिक विकास के बारे में हमें बताया गया। दलितों के सामाजिक उन्नयन के बारे में हमें प्रशिक्षण मिला।

प्रशिक्षण लेकर मैं गांव लौटी और गांव के पुरुषों व महिलाओं की बैठक की। बैठक में ग्राम कोष की स्थापना की गई। मिथिला क्षेत्रीय गामीण बैंक, रसियारी मे मेरे और उमेश सदाय के नाम से ग्राम कोष का खाता खुला। ग्राम कोष में 83 हजार 200 रुपया जमा है। ग्राम कोष से गांव वालों को शादी- विवाह, इलाज, रोजगार की तलाश में बाहर जाने के लिए पैसा दिया जाता है। जमीनी संघर्ष के काम में भी ग्राम कोष से पैसा खर्च होता है। इसके पहले हमलोग सूदखोरों के चंगुल में फंसे हुए थे। ये सूदखोर हमसे प्रति सैकड़ा दस रुपया सूद ले लेते थे। अगर हम अपनी तंगी के कारण पैसा नहीं लौटा पाते थे तो वे हमारी जमीन छीन लेते थे। गाय, बैल, बकरी जबरदस्ती खोल लेते थे। परिवार के लड़के-लड़कियों से खेत मजदूरी करवा कर उन्हें बंधुआ मजदूर बना लेते थे। इसके कारण दलित परिवार के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन ग्राम कोष बनने के बाद स्थितियां बदल रही हैं। तीन वर्षो तक ग्राम कोष के सहारे आंदोलन चला। इस संघर्ष के बाद हमारी मजदूरी ढाई सेर अनाज से बढ़ कर तीन किलो हो गया है। हालांकि यह मजदूरी अभी भी कम ही है।

कमला-कोसी नदी से घिरे रहने के कारण गांव में बार-बार बाढ़ आता है। इसके कारण जानमाल का खतरा बना रहता है। बाढ़ के समय रोजगार नहीं मिलता तो हम ग्राम कोष से पैसा लेकर काम चलाते हैं। ग्राम कोष और लोक शक्ति संगठन की मदद से हम लोग अभी 9 बीघा 18 धुर जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष से सात बीघा जमीन हासिल कर चुके हैं। इस जमीन पर इंदिरा आवास बना है। मक्का एवं धान की खेती हो रही है। इस तरह ग्राम कोष और लोक शक्ति संगठन की मदद से हमारी स्थिति काफी सुधरी हैं। हम सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं।

## ➢ केस स्टडी 20: शोषण का हुआ अंत

मेरा नाम अमेरिकी देवी है। मेरे पति का नाम जगदीश सदाय है। मैं मधुबनी जिले के सोहराय गांव की रहने वाली हूं। यह गांव लखनौ प्रखंड के मदनपुर पंचायत में पड़ता है। मैं दलित मुसहर परिवार से आती हूं।

मैंने 1992 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र से सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के दौरान ग्राम कोष, सामाजिक सम्मान तथा विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। आत्मविश्वास बढ़ाने के बारे में बताया गया था। प्रशिक्षण के बाद मुझमें काफी जागरूकता आई और मैं समाज सेवा की भावना से काम करने लगी। 1996-97 में गैरमजरूआ जमीन एवं तालाब पर कब्जा के लिए आंदोलन शुरू हुआ। मेरे साथ फूलियन देवी, कुमा देवी ओर श्रीबत्ती देवी की अगुवाई में दलित मुसहरों का आंदोलन शुरू हुआ। हम सबों ने अपने संगठन की बदौलत गांव के जमींदार लूटो सिंह के शोषण से गांव वालों को मुक्ति दिलाई। उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमें कानूनी संघर्ष का सामना भी करना पड़ा। हमलोगों ने उस जमींदार के खेत में काम करना बंद कर दिया। महीनों तक उनके खेत में काम नहीं किया। जमींदारों के खेत में लगे मसूर के फसल को काट लिया।

जमींदार के पास कोई सबूत नहीं था। वह 2 बीघा 18 कठ्ठे वाले तालाब पर अपना दावा कर रहा था। यह तालाब बालू से भरा हुआ है। जमींदारों के द्वारा मुसहरी के 18 लोगों पर कोर्ट में मुकदमा किया गया। इस कानूनी संघर्ष में ग्राम कोष से 75 हजार रुपया खर्च हुआ। अंत में जमीन और तालाब पर हमें कब्जा मिला। 1996 में कॉसा के सहयोग से तालाब को खुदवाया गया। ग्रामीणों को काम के बदले में अनाज दिया जाता था। समुदाय के लोगों ने तालाब की बंदोबस्ती करा ली। इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। अब हम लोग तालाब में मछली पालन का काम कर रहे हैं।

1995 की बाढ़ में कमला तटबंध टूट जाने के कारण पूरा गांव विस्थापित हो गया था। उस वक्त सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र की ओर से दो माह तक खिचड़ी प्रोग्राम चलाया गया। बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच चूड़ा, चावल, प्लास्टीक, दवा, रोजाना दो शाम का राशन, कम्बल, स्वीस रेड क्रॉस की मदद से बांटा गया। 100 घर बनाया गया।

ग्राम कोष की सहायता से हमें आर्थिक स्वावलंबन तो मिला ही, साथ में सामाजिक सम्मान भी मिला। बंधुआ मजदूरी ओर सूदखोरी से भी मुक्ति मिली। इसके बाद भी हमारा प्रयास जारी रहा। हमने प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर गांव वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया। 2005 में मुझे विश्व के सम्मानित नोबल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। पुरस्कार के लिए मेरा नाम नामित किया गया। इन सबसे मेरा उत्साह बढ़ा है। सामाजिक काम का सिलसिला मैं आगे भी जारी रखूंगी।

## ➢ केस स्टडी 21: मुश्किल के वक्त काम आया कोष

मेरा नाम सुकुमारी देवी है। मैं मधुबनी जिले के दयाखड़ गांव की रहने वाली हूं। यह गांव गंगापुर पंचायत में पड़ता है। मैंने 1992 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र के द्वारा सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण पाने के बाद मैं अपने गांव लौटी और ग्राम कोष की स्थापना की। समुदाय के लोगों का संगठन बनाया और सामाजिक काम करने लगी।

1995-96 में हमारे गांव में भूस्वामी एवं खेतीहर मजदूरों के बीच मजदूरी के सवाल पर संघर्ष हुआ। भूस्वामियों की ज्यादतियों से उबकर मैं गांव छोड़कर कमला तटबंध पर बस गई। हम दलितों ने मिल कर मजदूरी बढ़ाने का एलान किया। हमने जमींदारों के खेत में काम नहीं करने की कसम खाई। उस वक्त हमें मात्र 900 ग्राम अनाज और जलपान मिलता था। खेत में आठ घंटे तक काम करना पड़ता था। हमने उचित मजदूरी की मांग की। इसके बाद भूस्वामियों के साथ संघर्ष हुआ। जमींदारों ने धमकी देना शुरू किया। होली के वक्त उन्होंने मुसहरों के साथ खून की होली खेलने की धमकी दी । इसके बाद हम मुसहर लोग बैठक कर अपने बच्चों व मवशियों के साथ झंझारपुर अनुमंडलाधिकारी के कार्यालय के सामने धरना देने के लिए गांव से चल दिए। दो किलोमीटर आगे आने पर गांव के कुछ सज्जन लोगों ने हमसे गांव लौट चलने का अनुरोध किया। बीच का एक रास्ता निकला। मजदूरी में हमें तीन किलो अनाज और 40 रुपया मिलने लगा। गांव छोड़कर तटबंध पर आकर बसने के बाद हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गंदा पानी पीना पड़ता था। रामफल सदाय की पांच साल की बेटी प्यास से तबाह हो कर गड्ढे में पानी पीने गई और उसी में गिर कर मर गई। हम लोगों ने सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र के सचिव दीपक भारती से संपर्क किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद दो चापाकल लगा। गरमी के दिनों में पूरबा हवा बहने पर खाने-पीने की चीजों में मिट्टी बालू भर जाता था। फूस का घर उजड़ जाता था। हम घर बनाते-बनाते तबाह हो गए। कमला नदी के तेज बहाव के कारण हमारे गांव के पास कटाव शुरू हो गया। प्रशासन ने हमलोगों को जगह छोड़ देने की हिदायत दी। इसके बाद पुनर्वास के लिए हमलोगों ने झंझारपुर के अनुमंडलाधिकारी के पास आवेदन दिया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद विवश हो कर हमलोग लोक शक्ति संगठन की मदद से 3 जनवरी, 2003 को दैयाखड़वाड़ के संन्यासी बाबा, कैलाश गिरी, गोविंद गिरि की जमीन पर आ कर बस गए। डेढ़ एकड़ की यह जमीन कलमबाग में है। इस जमीन पर फुस का घर बना कर हम लोग रह रहे हैं। यहां जमींदर लोग गैर कानूनी तरीके से 20 एकड़ जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। हम लोग इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी के पास आवेदन दे चुके हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैलाश गिरि ने गलत तरीके से इसका रजिस्ट्री करा लिया है। 2005-06 में हमें कैलाश गिरि से लड़ना पड़ा। उसने 12 लोगों पर मुकदमा कर दिया। कानूनी लड़ाई आज तक जारी है। हमारे समुदाय के 6 लोगों को जेल भी जाना पड़ा था। इस संघर्ष में ग्राम कोष से 78 हजार रुपए खर्च हुए।

हमने एक और लड़ाई लड़ी है। कमला तटबंध के 55 वें किलोमीटर पर राजस्थानी कराह वाले ट्रैक्टर से खेती करवाते थे। हमने इसका विरोध किया। साथ दीपक भारती, हरिनारायण हर्ष, सुकुमारी देवी, सुनीला देवी, योगेंद्र सदाय, योगेंद्र महतो, आनंदी देवी और पुरबा चौपाल ने ग्रामीणों के साथ मिल कर ट्रैक्टर को रोक दिया। इसके बाद जमींदार का ठीकेदार पप्पू आया और उसने काम रोकने का कारण पूछा। दीपक भारती ने बताया कि अगर ट्रैक्टर से काम होने लगेगा तो यहां के मजदूर क्या करेंगे। ऐसे ही पहले से छोटे किसान और मजदूर बेकार बैठे हुए हैं। वहां पर स्थिति उग्र होने लगी। मजदूर लोग ट्रैक्टर ड्राइवर को मारने पर उतारू हो गए। तब दीपक भारती ने उन्हें समझाया कि ड्राइवर भी तो एक मजदूर ही है। उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारी लड़ाई तो सरकार से है, जिसने स्थानीय मजदूरों के बारे में सोचे बिना ट्रैक्टर से खेती की इजाजत दे दी है। दीपक भारती ने ठकेदार को साफ-साफ बता दिया कि 70 प्रतिशत काम स्थानीय मजदूरों से कराया जाए नहीं तो काम नहीं होने दिया जाएगा। बिहार विधान परिषद के तत्कालीन सभापति जाबिर हुसेन और उस वक्त के विरोधी दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने भी हमारे संगठन का समर्थन किया। इसके खिलाफ हाइकोर्ट में लोकहित याचिका दायर किया गया। उधर ठेकेदारों ने पैसे का प्रलोभन देकर आंदोलन को तोड़ने की साजिश की। इसके बावजूद आंदोलन चलता रहा। यह आंदोलन दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल के अलावा पूरे बिहार में फैल गया।

संगठन के प्रयास से सरकार ने हमारे गांव के लिए इधर इंदिरा आवास योजना के तहत 14 घरों को मंजूरी दी है। ग्राम कोष सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इसकी मदद से हमें सम्मान की जिंदगी मिली है।

## ➢ केस स्टडी 22: मुसहरों को मिला अधिकार

मेरा नाम अशोक दलित है। मैं सहरसा जिले के लालपुर गांव का रहने वाला हूं। यह गांव नवहट्टा प्रखंड के नौला पंचायत में पड़ता है।

सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र एवं लोक शकित संगठन से मैं 1994 में जुड़ा। संस्था के द्वारा आयोजित सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के दौरान हमें ग्राम कोष के बारे में बताया गया। साथ ही अंधविश्वास, आत्मविश्वास निर्माण एवं दूसरे सामाजिक-आर्थिक मसलों पर जानकारी दी गई। सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में क्रम में बताया गया कि किस जमीन पर किसका अधिकार होना चाहिए। किस एक्ट के तहत कौन सा प्रावधान लागू होता है। यहां से प्रेरित होकर मैं अपने गांव लालपुर लौटा। हमारे गांव में 150 मुसहर परिवार रहते हैं। हमने उनकी बैठक की और ग्राम कोष बनाया। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जमालपुर में अनुपी देवी एवं फूलिया देवी के नाम से ग्राम कोष का खाता खुला।

भौगोलिक दृष्टि से हमारा गांव कोसी नदी के किनारे के किनारे है। कोसी के दोनों तटबंधों के बीच सात नदियां हैं। इन्हीं के बीच हमारा गांव है। बाढ़ एवं बरसात में यहां आने जाने का एक मात्र साधन नाव है। साल में छह माह गांव पानी से घिरा रहता है।

हमारे गांव में खासकर यादव लोगों का वर्चस्व था। सामंत वर्षों से हम लोगों का शोषण करते थे। हमारे गांव के पास सिलिंग एक्ट का 65 एकड़ जमीन था। उस जमीन पर नारायणपुर निवासी बाहुबली यादव जाति का वर्षों से अवैध कब्जा था। 1999 में हम मुसहरों ने उस जमीन को लेकर संघर्ष शुरू किया। बाहुबली ने कोसी के बहुत सारे बदमाशों को एकत्र कर हम सबों को मारा पीटा। साथी जीवछ मांझी को मार कर घायल कर दिया। महिलाओं की भी पिटाई की। दोनों तरफ से सहरसा कोर्ट में मुकदमा हुआ। 2005 तक मुकदमा चलता रहा। मुकदमें में ग्राम कोष से एक लाख पचीस हजार रुपया खर्च हुआ।

मैं इस संघर्ष की अगुवाई कर रहा था। मुझे जानमाल का भी खतरा था। उस जमीन पर 144 लग गया। दोनों तरफ से काई फसल नहीं लगाया गया। बाद में 144 लगे रहने पर भी हमने संगठन के बल पर उस जमीन पर फसल लगाया और काटा। इसके कारण फिर संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद कोर्ट ने अंचल कार्यालय को जमीन की जांच कराने का निर्देश दिया। जांच में बाहुबली यादव के पास एक कट्ठा जमीन भी निकला। उसके पास कोई सबूत नहीं था। अंततः हम लोगों के पक्ष में कोर्ट का फैसला हुआ और बाहुबली को तीन साल के कैद की सजा सुनाई गई। 2006 में जिलाधिकारी की ओर से जमीन पर 55 मुसहरों को अधिकार मिला। इस जमीन पर हमलोग खेती कर रहे हैं। यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी कामयाबी का नतीजा रहा कि 2001 में मेरी पत्नी पंचायत समिति का चुनाव दो तिहाई बहुमत से जीती। इसके बाद प्रखंड कार्यालय से जुड़कर हमलोग सरकारी योजनाओं का लाभ अपने समुदाय के लोगों को दिलाने लगे। इसके कारण ग्राम कोष और लोक शक्ति संगठन काफी मजबूत हुआ है।

इसके बाद मुझे एक और व्यक्तिगत सफलता मिली। यूं तो मैं सहरसा कालेज से एमए पास था। लेकिन सामाजिक-राजनीतिक जानकारी बहुत अधिक नहीं थी। सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र से प्रशिक्षण लेने के बाद मुझमें काफी बदलाव आया। 2007 में मैं पंचायत शिक्षक बन गया। मेरे सामाजिक व व्यक्तिगत संघर्ष की यही कहानी है। ग्राम कोष एवं लोक शक्ति संगठन के बल पर हम लोगों की स्थिति काफी बदल गई है। सामंतों का डर खत्म हो गया है। अब हम आजाद की जिंदगी जी रहे हैं।

## ➢ केस स्टडी 23: जमीनी संघर्ष से बदली दुनिया

मेरा नाम पबिया देवी है। अनिरूद्ध सदाय मेरे पति हैं। मैं दरभंगा जिले के धौनी गांव की रहने वाली हूं। यह गांव किश्तपुर प्रखंड के सिमरी पंचायत में पड़ता है। मेरे गांव में कुल दो सौ दलित मुसहर पहरवार है।

मैंने 1994में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र से सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण पाया। प्रशिक्षण के दौरान सामाजिक शोषण से मुक्ति, ग्राम कोष, अंधविश्वास से मुक्ति, सामाजिक कव्यवस्था से मुक्ति जैसे कई विषयों पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षण पाने के बाद जब मैं गांव लौटी तो इन बातों को गांव वालों को सुनाई। हमारे समुदाय के लोग काफी प्रभावित हुए। इसके बाद बैठक कर हमने ग्राम कोष बनाया।

मेरे और दाहौरी देवी के नाम से मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ग्राम कोष का खाता (खाता संख्या 207) खोला गया। इसके साथ ही हमने गांव के स्तर पर लोक शक्ति संगठन की शाखा का भी गठन किया।

इसके बाद 1997 से लेकर 2000 तक हमारे गांव में जमीनी संघर्ष चला। हमारे समुदाय के लोगों के नाम से भूदान की 10 एकड़ जमीन का पर्चा बहुत पहले मिला था। निश्चित साल के बारे में मुझे जानकारी नहीं। उस जमीन पर कोसी क्षेत्र के बालेश्वर यादव ने अवैध कब्जा कर लिया था। कब्जा करने वालों में दो और लोग थे। संगठन बनने के बाद इस जमीन को ले कर संघर्ष  शुरू हुआ। हमारे समुदाय के लोगों ने सबूत के साथ हमला बोल दिया। हमलोगों ने तीनों के खिलाफ सहरसा जिला न्यायालय में मुकदमा किया। 2001 से 2005 के बीच इस मुकदमा में ग्राम कोष से एक लाख पचीस हजार रुपया खर्च हुआ। अंततः दिसंबर, 2007 में कोर्ट ने हम दलितों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के आधार पर हम लोगों ने अंचल कार्यालय में आवेदन दिया। प्रशासन की मदद से हम लोगों ने अब 4 एकड़ जमीन पर घर बना लिया है। 6 एकड़ जमीन पर कब्जे के लिए संघर्ष चल रहा है। सिलिंग एक्ट की 16 एकड़ दूसरी जमीन पर संधार्ष के लिए भी हम तैयार हो रहे हैं। इस जमीन पर यादवों का अवैध कब्जा है। इस जमीन पर अधिकार के लिए हम सबूत के साथ प्रशासनिक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। संगठन का काम शुरू होने के बाद हम लोगों के सामाजिक स्तर में काफी सुधार हुआ है। आर्थिक मुक्ति मिली है। हम लोग सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं।

## ➢ केस स्टडी 24: मिली आजादी की जिंदगी

मेरा नाम सीता देवी है। उमेश सदाय मेरे पति हैं। मैं दरभंगा जिले के मुझौल गांव की रहने वाली हूं। यह गांव किश्तपुर प्रखंड के नरकटिया मड़रिया पंचायत में पड़ता है।

मैंने फूलदास देवी के साथ 1993 में सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र में सामाजिक उत्प्रेरक का बीस दिवसीय प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के दौरान हमें सामाजिक बुराइयों से मुक्ति और आर्थिक उन्नयन के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। मसलन, अंधविश्वास से मुक्ति, आत्मविश्वास का निर्माण, बंधुआ मजदूरी,महिलाओं पर अत्याचार आदि के बारे में जानकारियां दी गई थी। प्रशिक्षण प्राप्त कर जब हम वापस गांव गए तो हम दोनों ने गांव वालों की बैठक की। गांव वालों को सारी बातें बताई। इसके बाद हमने ग्राम कोष बनाया। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में हम दोनों के नाम से ग्राम कोष का खाता (खाता संख्या 3974) खुला।

हमारे गांव की भौगोलिक बनावट काफी कठिन है। कोसी बांध के अंदर 75 एकड़ जमीन अंदर दियारा मे है। उस जमीन का पर्चा 1990 में ही दलितों को मिला था। इस जमीन पर विद्यानंद यादव हथियारों के बल पर खेती करता है। 1997 में हम मुसहरों ने लोक शक्ति संगठन के बैनर तले संगठित हो कर इस जमीन पर अधिकार के लिए संघर्ष शुरू किया। इस संघर्ष में हमारा साथ देने वाला सिकिया यादव विद्यानंद यादव की गोली से मारा गया। हम लोगों के साथ काफी मारपीट हुई। सहरसा कोर्ट में  मुकदमा हुआ। विद्यानंद यादव ने हम लोगों में से 80 को अभियुक्त बनाया। मुकदमें में ग्राम कोष से लाखो रुपया खर्च हुआ। लेकिन अंततः 2002 में कोर्ट का फैसला हम लोगों के पक्ष में हुआ। प्रशासन ने 70 एकड़ जमीन मे से 40 एकड़ पर हम लोगों का कब्जा करा दिया। 30 एकड़ जमीन पर संघर्ष जारी है। हम लोगों की ओर से उमेश सदाय ने 2006 के चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ा था लेकिन सामंतों के द्वारा बूथ कब्जा कर लिए जाने के कारण वे चुनाव जीत नहीं सके। इसके बावजूद ग्राम कोष और लोकशक्ति संगठन की मदद से हमारा संघर्ष जारी है। हमारी स्थिति भी काफी बदली है। आज हम आजादी की जिंदगी जी रहे हैं।

## ➢ केस स्टडी 25: बाकी है अभी संघष

मेरा नाम जीवेंद्र राम है। मैं चमार जाति का हूं और मधुबनी जिले के परमानंदपुर गांव का रहने वाला हूं। इंटर पास करने के बाद 1994 में मैंने सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र की ओर से सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने एक नए समाज के निर्माण का निर्णय लिया। कुव्यवस्था, छूआछूत, अंधविश्वास गरीबी से मुक्त समाज के लिए खुद को समर्पित किया। प्रशिक्षण से काफी प्रेरणा मिली। प्रशिक्षण लेकर गांव लौटा तो गांव वालों की बैठक की। सभी बातों को गांव वालों के साथ शेयर किया। मैंने गांव वालों से कहा, हम सभी गरीब लोग हैं। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर हम संगठित होकर काम करें तो हमें वह सब कुछ मिल सकता है जो हमारे पास नहीं है। गांव वालों को मेरी बातें पसंद आई। सबसे पहले हमने ग्राम कोष बनाया। तमुरिया डाकघर में ग्राम कोष का खाता खुला। इसके बाद हमारा संघर्ष और निर्माण का काम शुरू हुआ।

हमलोगों ने गांव के महाड़ पोखड़ा पर कब्जा करने पर विचार किया। इस पोखरे पर इंद्रनाथ झा वगैरह कब्जा किए हुए हैं। पहले यह परमानंदपुर के जमींदार जगदीश झा के कब्जे में था। हम लोगों ने पोखरे पर कब्जा कर वहां घर बना कर रहने लगे। इसके कारण हम लोगों पर मुकदमा हुआ। कई बार जेल जाना पड़ा। घर का थाली-लोटा,भैंस बकरी तक बंधक रखना पड़ा। इंद्रनाथ झा ने गांव के यादवों को हमारे खिलाफ करने की कोशिाश की। उन्हें जमीन देने का प्रलोभन दिया। लेकिन हमारी एकता के आगे उसकी एक साजिश कामयाब नहीं हुई। मुकदमें वगैरह में अब तक ग्राम कोष से 4 लाख रुपया खर्च हो चुका है। लेकिन पहाड़ पोखरा पर हमारा अधिकार बना हुआ है। हालांकि अभी तक हमें पर्चा नहीं मिला है। इसका कारण है कि जमींदार परिवार के कई लोग बड़े - बड़े  पदों पर हैं वे लोग प्रशासनिक अड़ंगा लगा रहे हैं। इसके कारण अबतक मात्र दो  चार इंदिरा आवास ही बना है। लेकिन हमारा संघर्ष जारी है और आगे भी जारी रहेगा।

मेरा नाम लक्ष्मी सदाय है। मैं दरभंगा जिले के देबुआडीह गांव का रहने वाली हूं । यह गांव घनश्यामपुर प्रखंड के गनौन पंचायत में पड़ता है। हमारे गांव में 375 दलित मुसहर परिवार हैं।

मैंने सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र, झंझारपुर में सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण 1993 में लिया। प्रशिक्षण के दौरान हमें ग्राम कोष, आत्मविश्वास निर्माण, सामाजिक कुव्यवस्था, अंधविश्वास , बंधुआ मजदूरी बाल विवाह आदि के बारे में बताया गया। शोषण से मुक्ति का रास्ता भी बताया गया।

प्रशिक्षण के बाद गांव लौटने पर हमने गांव वालों की बैठक की। उन्हें सारी बातों को बताया। इसके बाद हमने ग्राम कोष बनाया। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोर्थू में ग्राम कोष का खाता खुला। ग्राम कोष में पचास हजार रुपया जमा हो गया। ग्राम कोष से हम समाज के लोगों को बीमारी, विवाह, रोजगार के लिए बाहर जाने आदि कामों के लिए पैसा देते हैं। इसके एवज में प्रति सैकड़ा मात्र दो रुपया लिया जाता है। ग्राम कोष बनने के बाद सूदखोरों से मुक्ति धीरे-धीरे मिलने लगी।

हमारे गांव में 1995 में जमीनी संघर्ष शुरू हुआ। मुसहर समुदाय के लोगों के घर के पास बिहार सरकार की 25 एकड़ गैर मजरूआ जमीन थी। इस जमीन पर बटाईदार के रूप में हमारे बाप-दादा ही खेती करते थे। इस जमीन पिछले कई सालों से जमींदार धरनीधर झा ने कब्जा कर रखा था। झा पटना हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। हम लोगों को आधा फसल उनके पास पहुंचाना पड़ता था। संगठित होने के बाद हम लोगों ने जज साहब को फसल देना बंद कर दिया। एक दिन जज साहब गांव आए और हम लोगों से सवाल किया कि फसल क्यों नहीं पहुंचाते हो। हमने एक स्वर में जवाब दिया, जमीन बिहार सरकार की है, हम फसल नहीं देंगे। इसके तीन दिनों के बाद जमींदार के तीन हजार गुंडों ने हथियार के साथ गांव पर हमला बोल दिया। हमलोग बाल-बच्चा ले कर भाग गए। हमारे घरों को लूट लिया गया। गुंडे गाय- बैल खोल कर लोग ले गए। करीब तीन लाख रुपए का समान बरबाद हुआ। तीन दिनों के बाद हम लोग बाल-बच्चे के साथ डर-सहमे गांव लौटे। हरिजन थाना गए। थाना प्रभारी को सारी बातें बताई। प्रशासन हरकत में आई और हमारे घर के पास एक महीने तक के लिए दो दर्जन फोर्स को तैनात कर दिया। हमारे गांव के कुछ लोग डर से सगे-संबंधियों के यहां रह रहे थे। बाद में पुलिस ने सभी को वापस लाया। उधर जमींदार ने हम 25 दलितों पर मुकदमा कर दिया। हम लोगों ने आपस में राय-विचार कर ग्राम कोष के पैसे से मुकदमा लड़ने का निर्णय लिया। ग्राम कोष का लगभग पांच लाख रुपया मुकदमे में खर्च हुआ। हम लोगों को तीन बार छह-छह माह के लिए जेल में रहना पड़ा। शुरू में प्रशासन भी सहयोग नहीं करता था, क्योंकि जमींदार हाइकोर्ट में जज थे। बाद में हमलोगों को सफलता मिली। उक्त जमीन में से 15 एकड़ जमीन का पर्चा 16 आदमियों के नाम से हमलोगों को मिला। शेष दस एकड़ जमीन पर लड़ाई आज भी जारी है।

इसबीच हमारे समुदाय के लोगों के बीच काफी जागरूकता आई है। हम लोगों के बीच से रामशंकर सदाय उपमुखिया का चुनाव जीत गए हैं। मेरे अलावा बद्री सहाय पंचायत शिक्षक बन गए हैं। ग्राम कोष के पैसे से हमलोगों ने 5 बीघा 9 कठ्ठा जमीन के एक तालाब की बंदोबसती 10 साल के लिए साठ हजार रुपए में कराई है। इस तालाब से हर दो साल में 80 हजार की आमदनी होती है। रोजगार गारंटी योजना के तहत 450 मुसहरों को रोजगार मिला है। कुल मिला कर सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक विकास हुआ है। आज हम सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं।

## ➢ केस स्टडी 26: संगठन की बदौलत अधिकार मिला

मेरा नाम लक्ष्मी सदाय है। मैं दरभंगा जिले के देबुआडीह गांव का रहने वाली हूं । यह गांव घनश्यामपुर प्रखंड के गनौन पंचायत में पड़ता है। हमारे गांव में 375 दलित मुसहर परिवार हैं।

मैंने सामाजिक शैक्षणिक विकास केंद्र, झंझारपुर में सामाजिक उत्प्रेरक का प्रशिक्षण 1993 में लिया। प्रशिक्षण के दौरान हमें ग्राम कोष, आतमविश्वास निर्माण, सामाजिक कुव्यवस्था, अंधविश्वास , बंधुआ मजदूरी बाल विवाह आदि के बारे में बताया गया। शोषण से मुक्ति का रास्ता भी बताया गया।

प्रशिक्षण के बाद गांव लौटने पर हमने गांव वालों की बैठक की। उन्हें सारी बातों को बताया। इसके बाद हमने ग्राम कोष बनाया। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंककोर्थू में ग्राम कोष का खाता खुला। ग्राम कोष में पचास हजार रुपया जमा हो गया। ग्राम कोष से हम समाज के लोगों को बीमारी, विवाह, रोजगार के लिए बाहर जाने आदि कामों के लिए पैसा देते हैं। इसके एवज में प्रति सैकड़ा मात्र दो रुपया लिया जाता है। ग्राम कोष बनने के बाद सूदखोरों से मुक्ति धीरे-धीरे मिलने लगी।

हमारे गांव में 1995 में जमीनी संघर्ष शुरू हुआ। मुसहर समुदाय के लोगों के घर के पास बिहार सरकार की 25 एकड़ गैर मजरूआ जमीन थी। इस जमीन पर बटाईदार के रूप में हमारे बाप-दादा ही खेती करते थे। इस जमीन पिछले कई सालों से जमींदार धरनीधर झा ने कब्जा कर रखा था। झा पटना हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। हम लोगों को आधा फसल उनके पास पहुंचाना पड़ता था। संगठित होने के बाद हम लोगों ने जज साहब को फसल देना बंद कर दिया। एक दिन जज साहब गांव आए और हम लोगों से सवाल किया कि फसल क्यों नहीं पहुंचाते हो। हमने एक स्वर में जवाब दिया, जमीन बिहार सरकार की है, हम फसल नहीं देंगे। इसके तीन दिनों के बाद जमींदार के तीन हजार गुंडों ने हथियार के साथ गांव पर हमला बोल दिया। हमलोग बाल-बच्चा ले कर भाग गए। हमारे घरों को लूट लिया गया। गुंडे गाय- बैल खोल कर लोग ले गए। करीब तीन लाख रुपए का समान बरबाद हुआ। तीन दिनों के बाद हम लोग बाल-बच्चे के साथ डर-सहमे गांव लौटे। हरिजन थाना गए। थाना प्रभारी को सारी बातें बताई। प्रशासन हरकत में आई और हमारे घर के पास एक महीने तक के लिए दो दर्जन फोर्स को तैनात कर दिया। हमारे गांव के कुछ लोग डर से सगे-संबंधियों के यहां रह रहे थे। बाद में पुलिस ने सभी को वापस लाया। उधर जमींदार ने हम 25 दलितों पर मुकदमा कर दिया। हम लोगों ने आपस में राय-विचार कर ग्राम कोष के पैसे से मुकदमा लड़ने का निर्णय लिया। ग्राम कोष का लगभग पांच लाख रुपया मुकदमे में खर्च हुआ। हम लोगों को तीन बार छह-छह माह के लिए जेल में रहना पड़ा। शुरू में प्रशासन भी सहयोग नहीं करता था, क्योंकि जमींदार हाइकोर्ट में जज थे। बाद में हमलोगों को सफलता मिली। उक्त जमीन में से 15 एकड़ जमीन का पर्चा 16 आदमियों के नाम से हमलोगों को मिला। शेष दस एकड़ जमीन पर लड़ाई आज भी जारी है।

इसबीच हमारे समुदाय के लोगों के बीच काफी जागरूकता आई है। हम लोगों के बीच से रामशंकर सदाय उपमुखिया का चुनाव जीत गए हैं। मेरे अलावा बद्री सहाय पंचायत शिक्षक बन गए हैं। ग्राम कोष के पैसे से हमलोगों ने 5 बीघा 9 कठ्ठा जमीन के एक तालाब की बंदोबसती 10 साल के लिए साठ हजार रुपए में कराई है। इस तालाब से हर दो साल में 80 हजार की आमदनी होती है। रोजगार गारंटी योजना के तहत 450 मुसहरों को रोजगार मिला है। कुल मिला कर सामाजिक, आर्थिक शैक्षणिक विकास हुआ है। आज हम सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं।

## Photos Documentation of SSVK Stories Of Hope

**"What option did I have? It is our matter… That's why I took all the difficulties. There can not be development without struggle."**

**“Once you have knowledge, why should you depend on what others say? You start thinking for yourself.”**

SSVK

**"I am only one but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; I will not refuse to do something I can do".**